

सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार 31 अक्टुबर, 2005 ई0 कार्तिक 09, 1927 शक सम्वत्

<u>उत्तरांचल शासन</u> <u>विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग</u> संख्या 608 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005 <u>देहरादून, 31 अक्टुबर, 2005</u>

<u>अधिसूचना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को दिनांक 27 अक्टुबर, 2005 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2005 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23 सन 2005)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है। (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
परिभाषाएं	2.	इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
		(क) ''विद्या परिषद'' और कार्य परिषद्'' से विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्यापरिषद् और कार्य परिषद् अभिप्रेत है;
		(ख) ''मान्यता बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का मान्यता बोर्ड अभिप्रेत है;
		(ग) ''महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;
		(घ) ''दूर शिक्षा पद्धति'' से संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमीनार सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली अभिप्रेत है;
		(ङ) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
		(च) ''अन्य पिछड़े वर्गों'' से समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं;
		(छ) ''योजना बोर्ड'' से विश्वविद्यालय या योजना बोर्ड अभिप्रेत है;
		(ज) ''विहित'' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
		(झ) ''विद्यालय'' से विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत हैं;
		(ञ) ''परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों'' से विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
		(ट) ''विद्यार्थी'' से विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया हैं;
		(ठ) ''अध्ययन केन्द्र'' से विद्यार्थियों को सलाह देने या परामर्श देने या उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है;
		(ड) ''क्षेत्रीय केन्द्र'' से प्रदेश में स्थापित अध्ययन क्षेत्रों के कार्यों में समन्वय / निरीक्षण तथा अन्य कार्यों में सम्पादन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित क्षेत्रीय केन्द्र अभिप्रेत है;
		(ढ) ''शिक्षक'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन

		के लिये विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिये विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिये नियोजित हो और इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक भी हैं;
		(त) ''विश्वविद्यालय'' से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
		(थ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसमें शिक्षक तथा विश्वविद्यालय का अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी सम्मिलित है;
		(द) ''कुलाधिपति तथा कुलपति'' से विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति तथा कुलपति अभिप्रेत हैं।
		अध्याय—2
		विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य
विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन	3.	(1) ''उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
(वायमा ५५ मिनमन		(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।
		(3) कुलपति, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय में पदधारक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।
		(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुद्रा (सील) होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लायेगा एवं उस पर वाद लाया जायेगा।
विश्वविद्यालय के उद्देश्य	4.	विश्वविद्यालय, दूर शिक्षा पद्धित के माध्यम से जिसमें किसी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है, अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने कियाकलापों को संचालित करने में अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।
विश्वविद्यालय की शक्तियां	5.	विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थातः—
राग्राया		(1) ज्ञान प्रौद्योगिकी वृतियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर अवधारित की जायं, शिक्षण हेतु वयवस्था करना तथा अनुसंधान और प्रायोजित अनुसंधान की व्यवस्था करना;
		(2) उपाधियों, उपाधि–पत्रों, प्रमाण–पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाट्यक्रमों को योजित एवं विहित करना;
		(3) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षाओं का आयोजन तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियां, उपाधि—पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें या मान्यतायें प्रदान करना;
		(4) विहित रीति के अनुसार, मानद उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टातायें प्रदान करना;
		(5) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का प्रायोजन करने की रीति का निर्धारण करना;
		(6) शिक्षण देने के लिये या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिये या ऐसे अन्य शैक्षणिक कियाकलापों का सचांलन करने के लिये जिनके अन्तर्गत पाठ्कमों के लिये मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतीकरण भी है, और छात्रों द्वारा किये गये

- कार्य के मूल्यांकन के लिये, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से सम्बन्धित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (7) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करनाः
- (8) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिये ऐसे अन्य पारिपोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;
- (9) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर अवधारित किये जायें;
- (10) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना या मान्यता देना;
- (11) शैक्षणिक सामग्री जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, विडियोकेसेट और अन्य सॉफ्टवेयर हैं, तैयार करने के लिये व्यवस्था करना;
- (12) शिक्षकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना:
- (13) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अविधयों को, चाहे पूर्णतः या भागतः विश्वविद्यालय में परीक्षाओं या अध्ययन की अविधयों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;
- (14) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में, अनुसंधान, प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास के लिए व्यवस्था करना;
- (15) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;
- (16) विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु संदान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;
- (17) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना;
- (18) संविदायें करना, उनको कार्यन्वित, परिवर्तित अथवा निरस्त करना;
- (19) अध्यादेशों द्वारा अधिकथित फीस और अन्य प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति करना;
- (20) छात्रों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिता भी हैं, अधिकथित करना;
- (21) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठत आचार्यों, परामर्शियों, अध्योताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;
- (22) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाय, मान्यता लेना:
- (23) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये शर्ते विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;

		(24) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना;
		(25) परिनियमों में वहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;
		(26) ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय को ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुषंगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संप्रवर्तन में सहायक हों।
शक्तियों का प्रादेशिक प्रयोग	6.	तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में, अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगी।
विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पन्थों के लिये खुला होना	7.	(1) विश्वविद्यालय, वर्गों और पन्थों का विचार किये बिना, सभी व्यक्तियों के लिये, चाहे वह स्त्री हो या पुरूष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपिध प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिये कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।
		(2) उपधारा (1) की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों या समज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिये विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।
	<u> </u>	
I		अध्याय–3
		अध्याय—3 निरीक्षण तथा जांच
निरीक्षण तथा जांच	8.	
निरीक्षण तथा जांच	8.	निरीक्षण तथा जांच (1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र, जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी है, और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या एसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त
निरीक्षण तथा जांच	8.	निरीक्षण तथा जांच (1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र, जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं, और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या एसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के संबंध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा। (2) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय में, ऐसी जांच में, यदि आवश्यक समझे तो
निरीक्षण तथा जांच	8.	(1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र, जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी है, और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या एसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के संबंध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा। (2) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय में, ऐसी जांच में, यदि आवश्यक समझे तो सिम्मिलत होने का अधिकार होगा।

		(6) कार्य परिषद् कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगे।
		(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय में कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रत्यावेदन व स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जो वह उचित समझते हैं, जारी कर सकेते हैं, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन निदेशों को मानने के लिये बाध्य होंगे।
		(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यवाहियों को निष्प्रभावी कर सकता है; जो कि अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के संगत न हो :
		परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व वह विश्वविद्यालय से यह कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि इस प्रकार का आदेश क्यों न किया जाय और यदि समुचित समय के अन्तर्गत कोई युक्तियुक्त कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।
		(9) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।
		215/11/11 4
		अध्याय—4 विश्वविद्यालय के अधिकारी
विश्वविद्यालय के	9.	विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे:
अधिकारी] 3.	(क) कुलाधिपति;
		(ख) कुलपति;
		(ग) निदेशक;
		(घ) कुलसचिव;
		(ङ) वित्त अधिकारी;
		(च) परीक्षा नियन्त्रक; और
		(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।
कुलाधिपति 	10.	(1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह उपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।
		(2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी।
		(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।
		(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उनके अधीन प्रदान की जायं।
कुलपति	11.	(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिये और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर, जैसी कि विहित की जायें, नियुक्त किया जायेगा :
	1	

	2) कुलपित विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक व कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।
(:	3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसुचित करेगा :
	परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी तो वह विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकता है जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगाः
	परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किये जाने के नब्बे दिनों के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि कार्य परिषद्, कुलपित द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।
	4) यदि कुलपित यह समझते हैं कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम, पिरिनयमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिये कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इनकार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपित को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा:
	परन्तु संबंधित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।
(:	5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।
निदेशक 12.	प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति, ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, की जायेगी।
कुलसचिव 13. (1) ¹ {राज्य सरकार द्वारा कुलसचिव, उप कुलसचिव, और सहायक कुलसचिव की नियुक्ति 'केन्द्रीयकृत सेवानियमावली' के माध्यम से ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसा विहित किया जाय।}
	2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने का अधिकार होगा।
वित्त अधिकारी 14.	वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
अन्य प्राधिकारी 15.	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियां, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

¹⁻ उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21 वर्ष 2018 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

		अध्याय—5
		विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
विश्वविद्यालय के	16.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :——
प्राधिकारी		(क) कार्य परिषद्;
		(ख) विद्या परिषद्;
		(ग) योजना बोर्ड;
		(घ) अध्ययन केन्द्र;
		(ड.) वित्त समिति; और
		(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।
कार्य परिषद्	17.	(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।
		(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।
विद्या परिषद्	18.	(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शिक्तयों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।
		(2) विद्या परिषद् गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा वहित किये जायें।
योजना बोर्ड	19.	(1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर विश्वविद्यालय के विकास को निर्देशित करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
		(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
अध्ययन केन्द्र	20.	(1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होगे, जितनी विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करे।
		(2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियां और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
वित्त समिति	21.	वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
अन्य प्राधिकारी	22.	अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
		अध्याय—6
		विश्वविद्यालय निधि
विश्वविद्यालय निधि	े 23.	विश्वविद्यालय द्वारा निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित की जायेगी।
की स्थापना	L	

निधि का गढन	24.	विश्वविद्यालय निधि निम्नांकित तरीकों से प्राप्त धन से निर्मित होंगी:
		(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी निगमित निकाय द्वारा प्रदत्त ऋण, अंशदान अथवा अनुदान;
		 (ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो;
		(ग) विश्वविद्यालय की सभी स्रोतों से आय जिसमें फीस तथा प्रभार से आय भी सम्मिलित हैं;
		(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशि।
	25.	विश्वविद्यालय निधि को, कार्य परिषद् के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखा जायेगा अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा।
	26.	इस धारा की कोई बात, किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न्यास की घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकर की गयी या उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी।
उद्देश्य जिनके लिए	27.	विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयुक्त की जायेगी:——
विश्वविद्यालय निधि का उपयोग किया जायेगा		(क) इस अधिनियम व परिनियमों तथा अध्यादेश तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान करने के लिए;
		(ख) विश्वविद्यालयों की उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्रावासों की सम्पत्ति बनाये रखने के लिए;
		(ग) विश्वविद्यालय निधि की सम्परीक्षा की लागत का भुगतान करने के लिए;
		(घ) किसी वाद या कार्यवाही जिसका विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, के व्यय के लिए;
		(ङ.) विश्वविद्यालय उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्तों का भुगतान तथा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रयोजनों को अग्रसर करने व अन्य लाभांशों का भुगतान करने के लिए;
		(च) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में प्राधिकारियों के सदस्यों के यात्रा भत्तों व अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए;
		(छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों का भुगतान करने के लिए;
		(ज) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आगत अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए;
		(झ) ऐसे अन्य खर्चों का भुगतान जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती खण्डों में नहीं किया गया परन्तु जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाना कार्य परिषद् आवश्यक समझती हो।
व्यय सीमा से अधिक न होना	28.	कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किसी वर्ष में आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की सीमा से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
व्यय अनुमोदन पर किया जाना	29.	कार्य परिषद् की पूर्वानुमति के बिना बजट में उपबन्धित के सिवाय कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

		अध्याय–7
		परिनियम, अध्यादेश और विनियम
परिनियम	30.	इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, जो विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे:——
		(क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जायेगा;
		(ख) निदेशकों, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें, शक्तियां तथा कृत्य, जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;
		(ग) कार्य परिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदाविधयां व शक्तियां तथा कृत्य, जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;
		(घ) अध्यापकों तथा विश्वविद्यालयों के अनरूप कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;
		(ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापको ंऔर अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;
		(च) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरूद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये किस आवेदन के संबंध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन किया जायेगा;
		(छ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया;
		(ज) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जायें;
		(झ) प्रतिपादन व्यवस्था में दूरस्थ शिक्षा परिषद् के सिद्धान्तों को अनुपालन किया जायेगा।
परिनियम कैसे बनाये जायेंगे	31.	(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर बनाये जायेंगे।
। जायग		(2) कार्य परिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय—समय पर बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगीः
		परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय विहित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार न किया गया हो।
		(3) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमित दे सकेगा या अपनी अनुमित विधारित कर सकेगा या उस पर अग्रतर विचार करने के लिये कार्य परिषद् को भेज सकेगा।
		(4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गयी हो।

		(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
		(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कार्य परिषद् को निर्देश दे सकेगा कि परिनियम में उपबन्ध किया जाय और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिये संसूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उनका यथोचित रूप में संशोधन कर सकेगा।
अध्यादेश	32.	(1) इस अधिनियम और परिरियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेगें, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किये जायें;
		(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात:—
		(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्कम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अर्हताओं, अध्येतावृत्तियों, पारितोषिकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें;
		(ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के निबन्धन और उनकी नियुक्ति भी है; और
		(3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपित द्वारा बनाये जायेंगे, और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगे।
विनियम	33.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया हैं, ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायं, ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।
	<u> </u>	अध्याय–8
		वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा
वार्षिक प्रतिवेदन	34.	(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।
		(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलपित को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।
		(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।
लेखा और लेखा— परीखा	35.	(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन—पत्र, कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्याधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड या ऐसे व्यक्तियों द्वारा , जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर, उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

		(2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के सम्प्रेक्षणों के साथ कुलाधिपति को, कार्य परिषद्, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक लेखा की एक प्रति लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।
		(3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा किए गये सम्प्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाए जायेंगे।
अधिभार	36.	(1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।
		(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तनिर्हित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।
		अध्याय–9
		कर्मचारियों की सेवा शर्तें
कर्मचारियों की सेवा शर्तें	37.	(1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी हैं, लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा तथा ऐसी संविदा, इस अधिनियम, परिनियमों एंव अध्यादेशों से असंगत नहीं होगी।
		(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।
माध्यस्थम अधिकरण	38.	(1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा 36 में निर्दिष्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा।
		(2) ऐसा प्रत्येक निर्देश माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायेगा।
भविष्य एवं पेंशन निधियां	39.	(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों एवं अध्यापकों के फायदे के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, ऐसी भविष्य एंव पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यव्स्था करेगा, जैसी वह उचित समझे।
		(2) जहां ऐसी किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहां राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।
		अध्याय—10
		प्रकीर्ण
विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद	40.	यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

आकरिमक रिक्तियों	44	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों ग
का भरा जाना	41.	सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयाजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकार्र या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।
रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधि— कारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	42.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवार्ह उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण	43.	कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम य परिनियमों या अध्यादेश के उपबन्धों में से किसी अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है य की जाने के लिये तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद नहीं होगी।
विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्द	44.	(1) विश्वविद्यालय उतनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी है जितनी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत की जाये, को नियुक्त करेगा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी परिनियम द्वारा विहित की जायं।
		(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किये जायें।
		अध्याय—11
		विविध एवं संक्रमणकालीन उपबंध
किताईयों को दूर करने की शक्ति	45.	(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई किठनाई उत्पन्न होती हो त राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम व उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस किठनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक य समीचीन प्रतीत हों।
		(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान व पश्चात् नहीं किया जायेगा।
संक्रमणकालीन उपबन्ध	46.	(1) इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी——
		(क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वार नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा शर्तें परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति र शासित होंगी :
		परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के लिये नियुक्त का पात्र होगा।
		(ख) प्रथम कार्य परिषद् में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाः निर्दिष्ट किये जायेंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगे;
		(ग) प्रथम योजना बोर्ड में दस से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपित द्वारा नाग निर्दिष्ट किये जोयंगे और वे तीन वर्ष की अविध के लिये पद धारण करेंगे;
		(2) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्य परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम औ परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता और उन् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोजित कर सकेगा, जो क विनिश्चित करे।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित	47.	(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र प्रकाशित किया जायेगा।	में
किया जाना		(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, उसके बन जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्त प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तराखण्ड अधिनिय के अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, यदि राज्य विधान सभ्यथास्थिति, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमहोती है या उन्हें अनुमोदित करने के लिए सहमत नहीं होती है तो ऐसा कोई उपान्तर या निःष्प्रभाव परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।	त्तर क यम भा, मत रण

अनुसूची

(धारा 4- देखिये)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

- 1. विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से, प्रयास करेगा। इन उददेश्यों की प्राप्ति के लिए वह—
 - (क) नियोजन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनायेगा:
 - (ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधारिहत समूह को, जैसे कि वे समूह जो दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू मिहलायें और ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढाने व अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुच के लिये उपबंध करेगा:
 - (ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संबर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभ क्षेत्रों में नव-परिवर्तन, अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिये लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;
 - (घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यकमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में सुनिश्चय और निर्बाध विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की नई प्रणाली के लिए उपबन्ध करेगा;
 - (ङ.) औपचारिक पद्धित की अनुपूरक अनौपचारिक पद्धित का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पाठों और अन्य सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करके गुणवत्ता के अन्तरण को और शिक्षण कर्मचारीवृन्द के विनिमय को प्रोत्साहित करके शैक्षणिक पद्धित के सुधार में सहयोग देगा;
 - (च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करके जनता के लिये उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध करेगा;
 - (छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिये अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण लिये उपबन्ध या प्रबन्ध करेगा;
 - (ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाट्यकमों के लिये उपबन्ध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;
 - (झ) अपने छात्रों के लिये परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबन्ध करेगा;

- (ञ) अपनी नीति एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।
- 2. विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम ज्ञान का और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का ऐसी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिये जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हो, पूर्ण उपयोग करेगा।

THE UTIARAKHAND OPEN UNIVERSITY ACT, 2005

(Uttarakhand Ac No. 23 of 2005)

to establish a University to be known as Uttarakhand Open University

AN ACT

Be it enacted in the Fifty-sixth year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislative Assembly as follows:--

CHAPTER-I Preliminary

Short title and commencement

1.

- (1) This Act may be called the Uttarakhand Open University Act, 2005.
 - (2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the official gazette, appoint.

Definition

- 2. In this Act (unless the context otherwise requires) -
 - (a) "Academic Council" and "Executive Council" mean respectively the Academic Council and the Executive Council of the University;
 - (b) "Board of Recognition" means the Board of Recognition of the University;
 - (c) "College" means a college or other academic Institutions established or maintained by, or admitted to the Privileges of the University:
 - (d) "Distance education system" means the system of imparting education through any means of communication, such as broadcasting, telecasting correspondence courses, seminars, contact programmes or the combination of any two or more of such means;
 - (e) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University:
 - (f) "Other Backward Classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttarakhand Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (as applicable in the State of Uttarakhand) as amended from time to time:
 - (g) "Planning Board" means the Planning Board of the University;
 - (h) "Prescribed" means prescribed by the Statutes;
 - (i) "School" means a school of studies of the University;
 - (j) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;
 - (k) "Student" means a student of the University, and includes any person who has enrolled himself for pursuing any course of study of the University;
 - (l) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students;
 - (m) "Regional Centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of coordinating and supervising the work of study centres anywhere in the State and for performing such other functions:

- (n) "Teacher" means a person employed for imparting instruction in the University or for giving guidance or rendering assistance to students for pursuing any course of study of the University and includes a Principal or Director of a College;
- (o) "University" means the Uttarakhand Open University established under Section 3 of this Act;
- (P) "Employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other academic staff of the University;
- (q) "Chancellor and Vice Chancellor" mean respectively the Chancellor and Vice Chancellor of the University.

CHAPTER-II

The University and its Objects

Establishment and incorporation of the University

- 3. (1) There shall be established a University by the name of the Uttarakhand Open University.
 - (2) The headquarters of the University shall be at Haldwani (Nainital) and it may establish or maintain colleges or Study Centres at such other places in the State as it may deem fit.
 - (3) The Vice-Chancellor and the members of the Executive Council and Academic Council for the time being holding office as such in the University, shall constitute a body corporate by the name of the Uttarakhand Open University.
 - (4) The University shall have perpetual succession and common seal and shall sue and be sued by the said name.

The Objects of the University

4.

The University shall promote dissemination of learning and knowledge through distance education systems including the use of any communication tech-nology to provide opportunities for higher education to a large segment of the population and shall, in organizing its activities, have due regard to the objects specified in the first schedule.

Powers of the University

- 5. The University shall have the following powers, namely:-
 - (1) To provide for instruction in such branches of knowledge, technology, vocations and professions as the University may determine from time to time and to make provision for research as well as sponsored research;
 - (2) To plan and prescribe courses of study for degrees, diplomas certificates or for any other purpose;
 - (3) To hold examinations and confer degrees, diplomas, certificates or other academic distinctions or recognitions on persons who have pursued a course of study or conducted research in the manner laid down by the Statutes and Ordinances:
 - (4) To confer honorary degrees or other distinctions in manner prescribed;
 - (5) To determine the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized;

- (6) To institute professorships, readerships, lectureships and other academic positions necessary for imparting instruction or for preparing educational material or for conducting other academic activities, including guidance, designing and delivery of courses and evaluation of the work done by the students, and to appoint persons to such professorships, readerships, lectureships and other academic positions;
- (7) To co-operate with, and seek the co-operation of, other universities and institution of higher learning, professional bodies and organizations for such purposes as the University considers necessary;
- (8) To institute and award fellowships, scholarships, prizes and such other awards for recognition of merit as the University may deem fit;
- (9) To establish and maintain such Regional Centres, as may be determined by the University from time to time;
- (10) To establish, maintain or recognize Study Centres in the manner prescribed;
- (11) To provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, video cassettes and other software;
- (12) To organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (13) To recognize examinations of, or periods of study whether in full or part, at other universities, institutions or other places of higher learning as equivalents to examinations or periods of study in the University, and to withdraw such recognition at any time;
- (14) To make provisions for research, sponsored research and development in education technology and related matters;
- (15) To create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;
- (16) "To receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, maintain and dispose off any property movable or immovable, including Trust and Government property, for the purposes of the University;
- (17) To borrow, with the approval of the State Government whether on the security of the property of the University or otherwise, money for the purposes of the University;
- (18) To enter into, carry out, vary or cancel contracts;
- (19) To demand and receive such fees and other charges as may be laid down by the Ordinances;
- (20) To provide, control and maintain discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their codes of conduct;
- (21) To appoint, either on contract or otherwise, visiting professors, emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other person who may contribute to the advancement of the objects of the University;
- (22) To recognize persons working in other Universities, institutions or organizations as teachers of the University on such terms and conditions as may be laid down by the Ordinances;

- (23) To determine standards and specify conditions for the admission of students to courses of study of the University which may include examination, evaluation and any other methods of testing;
- (24) To make arrangements for the promotion of the general health and welfare of the employees;
- (25) To confer autonomous status on a college or Regional Centre in the manner prescribed in the statutes;
- (26) To do all such acts as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University as are necessary and conducive to the promotion of all or any of the Objects of the University.

Territorial exercise of powers

6. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the University shall in the exercise of its powers have Jurisdiction over the State of Uttarakhand.

University open to all classes and creeds

- 7. (1) The University shall be open to persons of either sex irrespective of class, race, caste or of creed, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University, or to hold any other office therein or admitted as a student in the University or to graduate there at, or to enjoy or exercise any privilege thereof.
 - (2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or of person belonging to the weaker sections of the society, and in particular of persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

CHAPTER-III Inspection and Inquiry

Inspection and Inquiry

- (1) Subject to the provisions of sub-section 3 and 4 (The Chancellor shall have the right to cause any inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University or of any Regional Centres or Study Centres) maintained by the University including its buildings, library, laboratories and equipments, and also of the examinations instructions and other work conducted or done by the University and to cause an enquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.
 - (2) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University, shall on receipts of such notice, have the right to make, within thirty days from the date of receipts of the notice or such other period as the Chancellor may determine, such representations to him as it may consider necessary.
 - (3) After considering the representations, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (2).
 - (4) Where an inspection or inquiry has been caused to be made by the person appointed by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to appear in person and to be heard on such inspection or inquiry.

- (5) The Chancellor may address the Vice Chancellor with reference to the results of such inspection or inquiry together with such views and advice with regard to the action to be taken thereon as the Chancellor may be pleased to offer and on receipt of the address made by the Chancellor, the Vice Chancellor shall communicate forthwith to the Executive Council the results of the inspection or inquiry and the views of the Chancellor and the advice tendered by him upon the action to be taken thereon.
- (6) The Executive Council shall communicate through the Vice Chancellor to the Chancellor such action, as it proposes to take or has been taken by it upon the results of such inspection or inquiry.
- (7) If authorities of the University does not, within reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the authorities of the University issue such directions as he may think fit and the authorities of the University shall be bound to comply with such direction.
- (8) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor, may, by an order in writing, annul any proceedings of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and, if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

(9) The Chancellor shall have such other powers as may be specified by the Statutes.

CHAPTER-IV Officers of the University

Officers of the University

- 9. The following shall be the officers of the University :--
 - (a) The Chancellor;
 - (b) The Vice Chancellor;
 - (c) The Director;
 - (d) The Registrar;
 - (e) The Finance Officer;
 - (f) The Examination Controller, and
 - (g) Such other Officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The Chancellor

- 0. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and shall when present preside over the convocation of the University.
 - (2) Every proposal for the conferment of any honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
 - (3) It shall be the duty of the Vice Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.
 - (4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Statutes.

The Vice Chancellor 11. (1) The Vice Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in such manner, for such terms and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed by the Statutes:

Provided that the first Vice Chancellor of the University shall be appointed by the State Govt. and shall hold office for a term of three years.

- (2) The Vice Chancellor shall be the Principal academic and executive officer of the University and shall exercise supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.
- (3) The Vice Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any officer or authority of the University by or under this Act and shall report to such officer or authority the action taken by him on such matter:

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice Chancellor under this subsection shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within Ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, Statutes or Ordinances or that any decision taken is not in the interests of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review its decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided that the decision of the authority concerned shall remain suspended during the period of review of such decision by the authority or the Chancellor, as the case may be, under this sub-section.

(5) The Vice Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

The Director

Every Director shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed by the Statutes.

The Registrar

- (1) ¹[The Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar shall be appointed by the State Government through 'Centralised Service Rules' in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.]
- (2) The Registrar shall have the power to enter into and sign, agreements, authenticate records on behalf of the University.

The Finance Officer

14.

12.

13.

The Finance Officer shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

¹⁻ Subs. by section 3 of UK Act no 21 of 2018.

Other Officers 15. The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed by the Statues. **CHAPTER-V Authorities of the University** Authorities of 16. The following shall be authorities of the University:-the University (a) The Executive Council: (b) The Academic Council; (c) The Planning Board: (d) The Schools of Studies; (e) The Finance Committee; (f) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University. The Executive 17. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the Council University. (2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed. The Academic 18. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the Council University and shall be subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, have the control and general regulation of, and be responsible for, maintenance of standards of learning, education, instruction, evaluation and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. (2) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be such as may be prescribed by the Statutes. The Planning 19. (1) There shall be constituted a Planning Board of the University which shall be Board the principal planning body of the University and shall also be responsible for the monitoring of the developments of the University on the lines indicated in the objects of the University. (2) The Constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be as may be prescribed by the Statutes. The Schools of (1) There shall be such number of Schools of Studies as the University may 20. Studies determine from time to time. (2) The constitution, powers and functions of the Schools of Studies shall be such as may be prescribed by the Statutes. The Finance 21. The constitution, powers and functions of Finance Committee shall be such Committee as may be prescribed by the Statutes.

The constitution, powers and functions of the other authorities which may be

declared by the Statutes to be authorities of the University shall be such as

may be prescribed by the Statutes.

Other

Authorities

22.

CHAPTER-VI University Fund

Establishment of University Fund

23.

The University shall establish a Fund to be called the University Fund.

Constitution of Fund

24. The following shall form part of or be paid into the University Fund;

- (a) any loan, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;
- (b) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;
- (c) the income of the University from all sources including income from fees and charges;
- (d) all other sums received by the University.
- 25. The University Fund shall be kept in any Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No.2 of 1934) or invested in securities authorized by the Indian Trusts Act, 1882 (No.2 of 1882), at the discretion of the Executive Council.
- Nothing in this section shall in any way affect any obligation accepted by or imposed upon the University by any declaration of trust executed by or on behalf of the University for the administration of any trust.

Objects to which University Fund may be applied

27. The University Fund shall be applicable to the following purposes:--

- (a) To the repayment of debts incurred by the University for the purposes of this Act and the Statutes, and the Ordinances and Regulations made thereunder;
- (b) To the upkeep of the property of the University including the departments, regional centres, study centres, and the hostels;
- (c) To the payment of cost of audit of the University Fund;
- (d) To the expenses of any suit or proceedings to which University is a party;
- (e) To the payment of salaries and allowances of the teaching and non-teaching staff of the University, Regional Centres, Study Centres and Departments maintained by the University and in furtherance of the purposes of this Act, Statutes and Ordinances and Regulations made thereunder and to the payment of other benefits;
- (f) To the payment of traveling and other allowances of the members of the authorities of the University in pursuance of any provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations;
- (g) To the payment of fellowships, scholarships and other awards to the students.
- (h) To the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder;
- (i) To the payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses declared by the Executive Council to be the expense for the purposes of the University.

Expenditure not to exceed the Limit

28.

No expense shall be incurred by the University in excess of the limits for, total recurring and non-recurring expenditure for the year fixed by the Executive Council.

No Expenses without Approval

30.

29. No expenditure other than that provided for in the budget shall be incurred by the University without the previous approval of the Executive Council.

CHAPTER-VII Statutes, Ordinances and Regulations

Statutes

- Subject to the provisions of this Act, the statutes may provide for all or any of the following matters relating to the University and shall in particular provide for:-
- (a) The manner of appointment of the Vice Chancellor, the term of his appointment, the emoluments and other conditions of his service and the powers and functions that may be exercised and performed by him;
- (b) The manner of appointment of Directors, Registrars, Finance Officer and other officers, the emoluments and other conditions of their service and the powers and functions that may be exercise and performed by each of the officers;
- (c) The constitution of the Executive Council and other authorities of the University, the terms of office of the members of such authorities and the powers and functions that may be exercised and performed by such authorities:
- (d) The appointment of teachers and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service;
- (e) The principles governing the seniority of service of the teachers and other employees of the University;
- (f) The procedure in relation to any appeal or application for review by any employee or student of the University against the action of any officer or authority of the University, including the time within which such appeal or application for review shall be preferred or made;
- (9) The procedure for the settlement of disputes between the employees or students of the University and the University;
- (h) All other matters which by the Act are to be, or may be, provided by the Statutes;
- (i) Distance Education Council norms may be followed in delivery system.

Statutes how made

- 1. (1) The first statutes of the University shall be made by the State Government by Notification.
 - (2) The Executive Council may from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Executive Council shall not make, or repeal any Statute affecting the status, powers or constitutions of any authority of the 'University until such authority has been given a reasonable opportunity to express its opinion in writing on the proposed changes and any opinion 50 expressed has been considered by the Executive Council.

(3) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent to it or withhold his assent thereon or remit it to the Executive Council for further consideration.

- (4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has been assented to by the Chancellor in the light of observation if any made by him.
- (5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) during the period of three years from the commencement of this Act.
- (6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor may direct the Executive Council to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him, and if the Executive Council is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

Ordinance

- 32. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinance;
 - (2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Ordinance shall provide for the following matters, namely ;--
 - (a) the admission of students, the courses of study and the fees thereof, the qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other courses, the conditions for the grant of fellowships, awards and the like,
 - (b) the conduct of examinations, including the terms and conditions and appointment of examiners; and
 - (3) The first Ordinance shall be made by Vice Chancellor with the previous approval of the State Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

Regulations

33. The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the Committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances in such manner as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER-VIII

Annual Report and Accounts

Annual report

- 34. (1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its Objects.
 - (2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before such date as may be prescribed by the Statutes.
 - (3) A copy of the annual report, prepared under sub-section (1) shall also be submitted to the State Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the State Legislature.

Account and Audit

35.

- (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Directors, Local Funds Accounts, Uttarakhand or by such person or persons as the Chancellor may authorize in this behalf.
- (2) A copy of the accounts and balance sheet together with the audit report thereon shall be submitted to the Chancellor along with the observations, if any, of the Executive Council before the thirteenth of September every year. 'A copy of the accounts together with audit report shall also be submitted to State Government, which shall, as soon as, may be, cause the same to be laid before the State Legislature'.
- (3) Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council, if any, on such observations, shall be submitted to the Chancellor.

Surcharges

- 36. (1) An officer specified in any of the clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of section 9 shall be liable to surcharges for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.
 - (2) The procedure of surcharges and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as maybe prescribed by the Statutes.

CHAPTER-IX Conditions of Services of Employees

Conditions of service of employees

37.

- (1) Except as otherwise provided by or under this Act every employee of the University including a teacher of the University may be appointed under a written contract and such contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) The contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

Tribunal of Arbitration

- 38. (1) Any dispute arising out of a contract of employment referred to in section 36 between the University and an employee or a teacher shall, at the request of either pary, be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the employee or teacher concerned and an umpire to be nominated by the Chancellor.
 - (2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this section within the meanings of Arbitration and Conciliations Act, 1996.

Provident and Pension Funds

- 39. (1) The University shall constitute for the benefit of the employees and teachers such provident or pension funds or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.
 - (2) Where any provident or pension fund has been so constituted, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 shall apply to such funds, as that were a Government Provident Funds.

CHAPTER-X

		Miscellaneous
Disputes to the constitution of the authorities and bodies	40.	If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
Filling up of casual Vacancies	41.	All the casual vacancies among the members other than ex-officio members of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body, who appoints, elects, or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.
Proceedings of University authorities or bodies not Invalidated by Vacancies	42.	No act or proceedings of any authority or any other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members.
Protection of action taken in good faith	43.	No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances.
Staff of the University	44.	(1) The University shall appoint such number of employees including academic staff as may be sanctioned by the State Government from time to time. The terms and conditions of service of the employees of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.
		(2) The salaries and allowances payable to various categories of employee of the University shall be such as may be determined by the State Government from time to time.
		CHAPTER-XI Miscellaneous and Transitional Provisions
Power to remove difficulties	45.	(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for

Power to	45.	(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State
remove		Government may, by order, make such provisions not inconsistent with the
difficulties		provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for
		removing the difficulty

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

Transitional (1) Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes-provisions

(a) the first Vice Chancellor, the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the State Government and they shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statutes:

Provided that the first Vice Chancellor shall be eligible for appointment in the manner specified in the Statutes for another term;

- (a) the Executive Council shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years; and
- (b) the first Planning Board shall consist of not more than ten members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years.
- (2) The Planning Board shall, in addition to the powers and functions conferred on it by this Act, exercise the powers of the Academic Council until the Academic Council is constituted under the provisions of this Act and the Statutes, and in the exercise of such powers, the Planning Board may co-opt such members as it may decide.

Statutes, Ordinances and Regulations to be published in the official Gazette

- 47. (1) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the Official Gazette.
 - (2) Every Statutes, Ordinances or Regulations made under this Act, shall, as soon as, may, after it is made, be placed before the State Assembly and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable in the State of Uttarakhand) shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttarakhand Act. If the State Assembly agree in making any modification in the Statutes, Ordinances or Regulations or do not agree to approve the same, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the Statutes, Ordinances or Regulations.

THE SCHEDULE (See Section 4)

The Objects of the University

- 1. The University shall endeavour through education, research, training and extension to play positive role in the development of the State, and based on the rich heritage of the State to promote and advance the culture of the people of Uttarakhand and its human resources and towards this end, it shall--
 - (a) strengthen and diversify the degree, diploma and certificate courses related to the needs of employment and necessary for building the economy of the country on the basis of its natural human resources;
 - (b) provide access to higher education for large segments of the population, and in particular, the disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas including working people, housewives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields;
 - (c) promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunity for upgrading knowledge, training and skills in the context or innovations, research and discovery in all fields of human endeavours;
 - (d) provide an innovative system of University level education, flexible and open, in regard to method and pace of learning combination of courses, eligibility for enrollment age of entry, conduct of examination and operation of the programmes with a view to promote learning and encourage excellence in new fields of knowledge;
 - (e) contribute to the improvement of the educational system by providing a non-formal channel complementary to the formal system and encouraging transfer of credits and exchange of teaching staff by making wide use of texts and other software developed by the University;
 - (f) provide education and training in the various arts, crafts and skills of the country, raising their quality and improving their availability to the people;
 - (g) provide or arrange training of teachers required for such activities or institutions;
 - (h) provide suitable Post-graduate courses of study and promote research;
 - (i) provide the counseling and guidance to its students; and
 - (j) promote national integration and the integral development of the human personality through its policies and programmes.
- 2. The University shall strive to fulfil the above objects by a diversity of means of distance and continuing education, and shall function in co-operation with the existing Universities and Institutions of higher learning and make full use of the latest scientific knowledge and new educational technology to offer a high quality of education which matches contemporary needs.
